संख्या:99/2022/1534जे0/22-5-2022-300(63)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 *लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2022*

विषय- जिला कारागार अलीगढ़ के विचाराधीन बंदी राजीव कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश के उपचार हेतु धनराशि रू0-5,90,000/- (रूपया पॉच लाख नब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-20633/सामा-1(5)/बं0चि0धना0-राजीव/2022, दिनांक 24-06-2022 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-93/2022/1414जे0/22-5-2022-300(63)/2017, दिनांक 21-07-222 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिला कारागार अलीगढ़ के विचाराधीन बंदी राजीव कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश का उपचार जे0एन0 मेडिकल कालेज, अलीगढ़ में कराये जाने हेतु धनराशि रू0-5,90,000/-(रूपया पॉच लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-22709/सामा-1(5)/बं0चि0धना0-राजीव/2022, दिनांक 12-07-2022 में प्राप्त सूचना अनुसार प्रश्नगत बंदी के अलीगढ़ जनपद से सम्बन्धित समस्त केसों का निस्तारण हो जाने तथा अपराध सं0-295/21, धारा-498ए, 323, 506, 344, 347, 376, 377, 120बी आई0पी0सी0 व 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना-अलीगंज, जनपद-एटा के वाद में मा0 सक्षम न्यायालय के समक्ष विचारण लम्बित होने के कारण विचाराधीन बंदी राजीव कुमार को दिनांक 06.07.2022 को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार एटा स्थानान्तरित किया गया। तत्क्रम में अधीक्षक, जिला कारागार एटा ने अपने पत्र दिनांक 08.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायालय, अपर मुख्य मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-17, एटा द्वारा सन्दर्भित वाद में प्राप्त रिहाई आदेश के अनुपालन में उक्त बंदी को दिनांक 08.07.2022 को कारागार से रिहा कर दिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तथ्यों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार अलीगढ़ के विचाराधीन बंदी राजीव कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश का उपचार जे0एन0 मेडिकल कालेज, अलीगढ़ में कराये जाने हेतु धनराशि रू0-5,90,000/-(रूपया पॉच लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-93/2022/1414जे0/22-5-2022-300(63)/2017, दिनांक 21-07-222 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या-99/2022/1534जे0(1)/22-5-2022, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
3- मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार अलीगढ़।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है